जिला कलेक्ट
श्रीगंगानगर
48/20

Gen. No. 13

अपील सूचना अधिकार संख्या 48/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर

20–12–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.02.2016 के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. पत्रांक 780 दिनांक 28.05.2015 को श्रीमान द्वारा आयुक्त नगरपरिषद श्रीगंगानगर को आदेशित किया है कि बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल द्वारा लोक सभा चुनाव 2014 में मतदाता पर्चिया राधेश्याम गोयल के परिवार को वितरित करने पर दोनो पक्षकारो के ब्यान लेकर जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश पारित किये थे इस बाबत सूचना व पत्रांक 780 दिनांक 28.05.2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. इस पत्र में यह भी अंकित किया है कि राधेश्याम गोयल के बयान दर्ज न लेकर श्री सुभाषचन्द गोयल के बयान दर्ज किये है इस बाबत सूचना व पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. आप द्वारा अपने पत्रांक 1974–76 दिनांक 21.12.15 में प्रार्थी के बयान दर्ज किये बिना ही जांच रिपोर्ट जारी कर प्रार्थी की शिकायत तथ्यहीन बताया है। अतः तथ्यहीन शिकायत बताने के आधार की सूचना व नियम की प्रमाणित जिस जांच नियमो के अन्तर्गत व विभागीय जांच नियमो की रोशनी में शिकायत तथ्यहीन माना है।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने के बजाये अवलोकन करने के लिए उसे जबाब दिया है जबकि उसके द्वारा अवलोकन हेतू आवेदन ही नही किया है। उसके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपना जबाब सं0 330 दि0 29.03.16 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र संख्या 212 दिनांक 04.03.2016 के द्वारा प्रार्थी को पंजिकृत डाक द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 212 दि0 04.03.2016 के द्वारा अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर प्रेषित किया गया है:–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आप द्वारा चाही गई उपरोक्त सूचना के संबंध में लेख है कि:–

1. बिन्दू सं0 1 व 2 में वर्णित पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि (एक पृष्ठ) प्राप्त करने हेतू निर्धारित शुल्क 2 रूपये प्रति पृष्ठ की दर से इस कार्यालय में जमा करावे ताकि सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि आपको उपलब्ध करवाई जा सके।

2. शेष बिन्दु सं0 3 के तहत चाही गई सूचना के संबंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर, ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राज0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु सं0 1 व 2 की एक पृष्टो की सूचना के लिए 2 रूपये प्रति पृष्ठ की दर से राशि जमा करवाकर सूचना प्राप्त करनने के लिए उक्तानुसार लिखा गया है। अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 1 व 2 की एक पृष्टो की सूचना के लिए उक्तानुसार 2 रूपये प्रति पृष्ट की दर से राशि जमा करवाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त करनी चाहिए।

बिन्दु सं0 3 के संबंध में अपीलार्थी द्वारा जो सूचना चाही गई है वह कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 04.03.2016 सही है।** फिर भी सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 20.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर